

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा
पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 151/2006

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2006/00019

वादी

बनाम

प्रतिवादी

हड़मानराम पुत्र सुरताराम

कौम मेघवाल

निवासी आसोतरा तहसील पचपदरा

1.मोहनलाल पुत्र सुरताराम कौम मेघवाल

निवासी आसोतरा तहसील पचपदरा

2.लूम्वाराम पुत्र नगाराम कौम मेघवाल

3.पदमाराम पुत्र नगाराम कौम मेघवाल

निवासी आसोतरा तहसील पचपदरा

4.राजस्थान राज्य जरीये तहसीलदार

पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति

1.श्री चेलाराम कुमावत अधिवक्ता वादी

2.प्रतिवादी एकतरफा

निर्णय

दिनांक- 27/10/2025



संक्षिप्त में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि सरहद मौजा आसोतरा पटवार क्षेत्र आसोतरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1178 रकबा 33.11 बीघा व खसरा संख्या 2161 रकबा 14.00 बीघा भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 19.7.2023 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार पचपदरा द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। तदनुसार माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री जारी की जानी उचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा,

लिहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा आसोतरा पटवार क्षेत्र आसोतरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1178 रकबा 33.11 बीघा व खसरा संख्या 2161 रकबा 14.00 बीघा भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र.सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	ख.सं.	क्षेत्रफल (हेक्ट.)	किस्म	लगान	वरंग
1	हडमान पुत्र सुरताराम कौम मेगवाल हिस्सा पूर्ण सा देह खातेदार	आसोतरा	2161 1178	1.7703 2.8285	बा.दो. बा.दो.	3.50 5.60	नक्शे मे दर्शितानुसार
2	मोहनलाल पुत्र सुरताराम कौम मेगवाल हिस्सा पूर्ण सा देह खातेदार	आसोतरा	2161	1.7703	बा.दो.	3.51	नक्शे मे दर्शितानुसार
3	पदमाराम पुत्र नारायणराम हि 1/4 जाति मेगवाल सा देह खातेदार रहन-एस.बी.बी.जे. शाखा आसोतरा लूम्बाराम पुत्र नारायणराम हि.1/4 जाति मेगवाल सा देह खातेदार रहन-एस.बी.बी.जे. शाखा आसोतरा मोहनलाल पुत्र सुरताराम हि 1/2 जाति मेगवाल सा देह खातेदार	आसोतरा	1178	5.6572	बा.दो.	11.20	नक्शे मे दर्शितानुसार

तहसीलदार,पचपदरा को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामान्तकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे,राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मूर्तिबू जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।



निर्णय आज दिनांक 27/10/25 को लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(अशोक कुमार) 27/10/25
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

सहायक कलक्टर
एस.डी.ओ.)बालोतरा 27/10/25

मूलवाद में अंतिम डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा
पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :- 151/2006
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2006/00019

वादी
हड़मानराम पुत्र सुरताराम
कौम मेघवाल
निवासी आसोतरा तहसील पचपदरा

बनाम

प्रतिवादी

1. मोहनलाल पुत्र सुरताराम कौम मेघवाल
निवासी आसोतरा तहसील पचपदरा
2. लूम्बाराम पुत्र नगाराम कौम मेघवाल
3. पदमाराम पुत्र नगाराम कौम मेघवाल
निवासी आसोतरा तहसील पचपदरा
4. राजस्थान राज्य जरीये तहसीलदार
पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा:-53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर :151/2006

निर्णय दिनांक :- 27.10.2025

वादी की ओर से श्री चेलाराम कुमावत अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी एकतरफा में इस वाद में आज तारीख 27.10.2025 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 27.10.2025 में अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से घोषित की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिये जाते हैं, कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 27.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादीगण	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रुपया	1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रुपया
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3. प्लीडर की फीस	
4.रुपये पर प्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	-----	5. आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		6. कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़	-----	जोड़	-----



सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) बाळोतरा 27/10/2023